



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 2277 / तीन / 2014

जिला टीकमगढ़

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं  
अभिभाषकों के  
हस्ताक्षर

12/8/14

यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त निवाड़ी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 78 अ 12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 18-6-14 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनावेदिका ने खसरा नंबर 642/1 ग्राम विल्ट का सीमांकन कराया है किंतु आवेदकगण को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी, जबकि आवेदकगण मेढ़िया कास्तकार हैं किये गये सीमांकन से आवेदकगण की भूमि प्रभावित कर दी गई है। आवेदकगण एवं अनावेदक की भूमियों का नक्शे में तरमीम नहीं है जिसके कारण सीमांकन नहीं किया जा सकता और किसी भी पक्षकार की भूमि की सीमायें नहीं नापी जा सकती। उन्होंने राजस्व निरीक्षक के आदेश को एकपक्षीय बताते हुये निगरानी सुनवाई में लेने एवं स्थगन दिये जाने की मांग की।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 18-6-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया गया कि आदेश के पद-2 में इस प्रकार अंकित किया गया है :-

“दिनांक 11-6-14 को छक्की, भागीरथ कल्ला, परमानंद गड़रिया द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि सीमांकन उनकी

निगरानी कमांक 2277 / तीन / 2014

अनुपस्थिति में बंदोवस्ती चिन्हों से नहीं हुआ है। अतः दिनांक 18-6-14 को हलका पटवारी , कोटवार सहित पुनः ख.नं. 642/1 की सीमाओं का आपत्तिकर्ताओं की उपस्थिति में पुनः सत्यापन किया गया। तब भी आपत्तिकर्ताओं ने हस्ताक्षर नहीं किये।”

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदकगण को राजस्व निरीक्षक ने सुनवाई का समुचित अवसर दिया है एवं उनके द्वारा आपत्ति करने पर एकवार सीमांकन कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत भी आपत्तिकर्तागण (आवेदकगण) के समक्ष पुनः सीमांकन कार्यवाही की है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 129 – सीमांकन कार्यवाही का स्वरूप – सीमांकन दूसरे पक्षकार के समक्ष उसकी उपस्थिति में किया गया – उपस्थित पक्षकार ने कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया – तब यह नहीं माना जाएगा कि सीमांकन उसकी अनुपस्थिति में किया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने एवं सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

  
सदस्य